न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ

उपस्थितः श्री संजय शंकर पाण्डेय .....उच्चतर न्यायिक सेवा

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 9442/2022</u>

शाश्वत राय पुत्र श्री अशोक कुमार राय,
निवासीः सी–1/99 सेक्टर–जी, जानकीपुरम,
विशाल हास्पिटल के पीछे, जनपद लखनऊ .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार व अन्य .....अभियोगी/विपक्षीगण

मु0अ0सं0 : 22/2022,
अन्तर्गत धाराः 498–ए, 323, 504, 506 भा0दं0सं0, एवं
धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थानाः आशियाना, लखनऊ

<u>दिनांकः 28.10.2022</u>

1. आवेदक/अभियुक्त **शाश्वत राय** की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धाराः 438 दं0प्र0सं0 उपरि–वर्णित अपराध में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की पत्नी द्वारा झूठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त व उसके परिवार को परेशान व बदनाम करने के उद्देश्य से झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही किसी मामले सजायाफ्ता है। सभी धराओं में सात साल की सजा से कम है। आवेदक/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त वादिनी का पति है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी को परेशान किया जाता था व मार–पीट की जाती थी, जिसके विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हैं।

3. मैंने आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

4. प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी ऋचा संहिता द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना तहरीर थाना आशियाना, लखनऊ पर प्रस्तुत की गयी कि उसका विवाह शाश्वत राय के साथ दिनांक 22.01.2017 को सम्पन्न हुआ। वादिनी के पति व उसके माता–पिता की मांग के अनुरूप समस्त घर गृहस्थी का सामान, गहने, जेवरात तथा बैंक के मध्यम से लाखों रूपये एकाउन्ट में वादिनी के पति को दिया गया। समस्त घर गृहस्थी का सामान गहने, जेवरात, स्त्रीधन, सास, पति व ससुर ले रखे हैं तथा मांगने पर स्पष्ट रूप से मना कर दिया। वादिनी के पति व सास, ससुर मिले हुए हुए दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे तथा वादिनी को गन्दी–गन्दी गालियॉ देते थे। अतिरिक्त दहेज के रूप में मुम्बई में फ्लैट खरीदने के लिए रूपये 50 लाख नकद देने का दबाब बना रहे थे। मांग न पूर्ण होने की स्थिति में वादिनी को घर से निकाल देने, तलाक लेने व पुनर्विवाह कर लेने की धमकी देते थे और छोटी–छोटी बातों पर गर्भावस्था के दौरान भी बुरी तरह से मार पीट करते थे, जिससे वादिनी को गर्भपात होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। वादिनी के सिर पर काफी गम्भीर चोंटे आयी। इसी बीच वादिनी के एक पुत्री को जन्म दिया, जो लगभग दो वर्ष की है। जब इन लोगों की मांग बढ़ी तो वादिनी ने अपने माता पिता को यह बात बतायी, तो उन्होंने भी अतिरिक्त दहेज की मांग पूर्ण कर पाने में असमर्थता जतायी। दिनांक 05.07.202 को वादिनी अपने माता–पिता के साथ अपने मायके आ गयी। पुनः दिनांक 14.08.2021 को ससुराल गयी, तो इन लोगों ने वादिनी के साथ–साथ उसके माता–पिता के साथ अभद्रता की। अतः विवेश होकर उसे बैरंग अपने माता–पिता के घर लोटना पड़ा।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत भा0दं0सं0 की धारा 498–ए, 323, 504, 506 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

5. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रकरण के सह अभियुक्तगण श्रीमती लक्ष्मी राय व अशोक कुमार राय की अग्रिम जमानत न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–6/विशेष न्यायाधीश, पी0सी0 ऐक्ट, लखनऊ द्वारा जमानत आवेदन पत्र सं0: 3521/2022 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के माध्यम से स्वीकार हो चुकी है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सह अभियुक्तगण प्रकरण की पीड़िता की सास और ससुर थे तथा संदर्भित आदेश में न्यायालय द्वारा यह अभिलिखित किया गया है कि उन पर मार–पीट किये जाने का कोई अभियोग नहीं लगाया गया है। मेरे समक्ष आवेदक/अभियुक्त पीड़िता का पति है, अतः सह अभियुक्तगण को प्राप्त अग्रिम जमानत के आधार पर आवेदक/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में सम्पूर्ण आवेदन पत्र में यह कहीं कथन नहीं किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तारी की कोई आशंका है। इतना ही नहीं आवेदन पत्र के प्रस्तर–24 में स्वतः यह लिखा गया है कि प्रकरण में समस्त धाराएं सात साल की सजा से कम हैं। वस्तुतः ऐसे प्रकरण में द0प्र0सं0 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतेन्दर कुमार अन्टिल बनाम सी0बी0आई0 आदि** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था में गिरफ्तारी से पर्याप्त संरक्षरण प्राप्त है। तदैव, यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

–:आदेश:–

तदनुसार, आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438 **निरस्त** किया जाता है।

(संजय शंकर पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ

आर0एस0